150

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1077/तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.03.2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 27/2013–14 अपील

1– राजकिशोर पुत्र श्री गिरजा शंकर

2– गिरजा शंकर पुत्र श्री विष्णु प्रसाद पाठक

निवासीगण – विश्वनाथ कालौनी छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती चंदादेवी पाण्डे पुत्र स्व. श्री मुन्नीलाल पाठक पत्नी गनेश प्रसाद पाण्डे
निवासी – कुर्राहा हाल निवास गांधी चौक बिहारी जू मन्दिर की गली छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

2– श्रीमती कली पटैरिया पुत्र स्व. श्री मुन्नीलाल पाठक पत्नी छेदी लाल पटैरिया निवासी – नौगांव हाल निवास शहरी परिवार कल्याण एवं स्वास्थय केन्द्र ठाटीपुरा ग्वालियर (म.प्र.)

—— अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदकगण
श्री आर.डी शर्मा, श्री विनोद भार्गव अभिभाषक अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 17/11/2016)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 27/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.03.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959

की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम कुरहा की नामान्तरण पंजी 10 वर्ष 1989—90 में पारित आदेश दिनांक 13.03.1990 के विरूद्व चन्दादेवी द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी नौगांव को प्रस्तुत की गयी थी। जो अवधि बाह्य थी जिसके संबंध में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसका जबाव राजकिशोर द्वारा दिया गया किन्तु उक्त जबाव पर विचार किये बिना आदेश दिनांक 27.03.2014 से परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्व यह निगरानी आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3— निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4— आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि भूमि स्वामी मुन्नीलाल पाठक के यहॉ कोई पुत्र संतान नहीं थी एवं उनकी पत्नी का देहांत पूर्व में हो चुका था। उनके वारिसान के रूप में दो पुत्रियॉ चन्दाबाई एवं कली है। जो शादीशुदा है वह अपने पति एवं बच्चो के साथ ससुराल में निवास कर रही है ऐसी स्थिति में भूमि स्वामी अपने भतीजे के साथ निवास करते थे। और उसके द्वारा की गयी सेवा से प्रश्न होकर भूमि स्वामी द्वारा वसीयतनामा सम्पादित किया था। जिसके आधार पर वसीयतनामा की विधिवत् जॉच की जाकर नामान्तरण आदेश दिनांक 19.03.1990 को पारित किया है। जिसकी अपील 23 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गयी है जो स्पष्टतः अवधि बाह्य है ऐसी स्थिति में लम्बे समय पश्चात् प्रस्तुत अपील में संलग्न धारा 5 के आवेदन पत्र को स्वीकार करने मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में

अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाये तथा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5— अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगांव द्वारा उनकी प्रस्तुत अपील को परिसीमा में अन्दर मान्य किया गया है जिससे प्रकरण का निराकरण गुण दोषो पर होना है जिसमें आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर होगा। इसलिये उनकी ओर से प्रस्तुत निगरानी में कोई बल होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6— अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख से स्पष्ट है कि ग्राम कुर्राहा की नामान्तरण पंजी क्रमांक 10 वर्ष 1989—90 में पारित आदेश दिनांक 19.03.1990 के विरूद्व अपील अनुविभागीय अधिकारी नौगांव को दिनांक 28.01.2013 को प्रस्तुत की गयी थी। जो स्पष्टतः अवधि बाह्य थी क्योंकि उपरोक्त अपील आक्षेपित आदेश के लगभग 23 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गयी थी। इतने लम्बे समय का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था इस संबंध में 1995 आर.एन. 139 में स्पष्ट किया गया है। कि आसाधारण विलंब को माफ नहीं किया जा सकता। बिलंव को न्यायहित में तभी माफ किया जा सकता है तब प्रत्येक दिन का समाधान कारक स्पष्टीकरण प्रमाण सहित दिया जाये। भूमि स्वामी मृतक मुन्नीलाल के सेवा खुशामद एवं देखरेख अनावेदकगण की जानकारी में आवेदक द्वारा की जाती है। और यही सेवा खुशामद से प्रश्न होकर मृतक मुन्नीलाल द्वारा वसीयतनामा गवाहो के समक्ष आवेदक के हित में सम्पादित किया था। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अनावेदकगण को नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश की जानकारी नहीं थी। 1992 आर. एन 289 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 व्याप्ति अधिकारिता की

प्रकृति–विवैकिक है। पक्षकार बिलंव माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदार नहीं है – पर्याप्त कारण का सबूत – अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित विवैकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है। न्यायालय अपनी अंतनिर्हित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कलावधि नहीं बढा सकता। इसके अलावा आवेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के न्यायालय में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पत्र का जबाव प्रस्तुत कर बताया था कि अनावेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया है कि उन्हे आदेश की जानकारी दिनांक 30.12. 2012 को हुयी और नकल का आवेदन 02.01.2013 को लगाया गया। तथा नकल दिनांक 03.01.2013 को प्राप्त हुयी इसके बावजूद अपील दिनांक 28.01.2013 को प्रस्तुत की गयी है इस संबंध में अपने आवेदन पत्र में बिलंव का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तब बिलंव माफ नहीं किया जा सकता 1914 आर.एन. 220 इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी पर्याप्त कारण के जो आदेश पारित किया है वह विधिवत् नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2016 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं नामान्तरण पंजी क्रमांक 10 वर्ष 1989–90 में पारित आदेश दिनांक 19.03.1990 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर